D (a)

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़

(Near Pratap Circle ,Phone & Fax no. 01472-241049(Office),

क्रमांक :– एफ ( )एफ.सी.ए./उवस/2017–18/ **दिनांक :–**

निमित्त,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय्
चित्तौड़गढ़

विषय :– शहरी जनसहभागिता योजना (CSR) के तहत देहली गेट से एन.एच. 79 तक वाया मानपुरा सड़क की चौडाई बढाकर एवं डामरीकरण के कार्य हेतु वन भूमि के बदले अन्यंत्र भूमि आवंटन बाबत।

प्रसंगः– सचिव नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/लेखा/2017–18/396 – 97 दिनांक 31.1.18 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में प्रासंगिक पत्र कम में निवेदन हैं कि शहरी जनसहभागिता योजना (CSR) के तहत देहली गेट से एन.एच. 79 तक वाया मानपुरा सड़क की चौडाई बढाकर एवं डामरीकरण कार्य में वन विभाग की आराजी संख्या 5 में से 1200 मीटर लम्बाई एवं 14.50 मीटर चौडाई प्रस्तावित होने पर कुल 1.74 हैक्टर वन भूमि रोड निर्माण कार्य में प्रस्तावित है। श्रीमान जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश कमांक/राजस्व/12–8/(3)17/1984 दिनांक 29.12.17 से रावतभाटा गांधीसागर रोड़ कि.मी. 39 से दोतडा किमी. 0/0 से 11/0 तक वन क्षेत्र बरखेडा में 9.9 हैक्टर वन भूमि आने के कारण सड़क निर्माण हेत वन विभाग को राजकीय बिलानाम भूमि ग्राम कोलपुरा पटवार हल्का मण्डेसरा तहसील भैंसरोड़गढ़ की राजकीय बिलानाम आ.स. 99 रकबा 8.11 हैक्टर एवं आ.स. 102 रकबा 1.79 हैक्टर किता 2 रकबा 9.90 हैक्टर गैर वन भूमि वन विभाग के लिये आरक्षित की गई है। अतः लेख है कि उक्त शहरी जनसहभागिता योजना (CSR) के तहत देहली गेट से एन.एच. 79 तक वाया मानपुरा सड़क की चौडाई बढाकर एवं डामरीकरण कार्य मे 1.74 हैक्टर वन भूमि के बदले उक्त आ.स. 102 में अवशेष रकबे में से 1.74 हैक्टर गैर वन भूमि प्रस्तावित रोड निर्माण के ऐवज में वन हेतु आरक्षित करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

put up
on file
2/2/18

भवदीय

(एस.पी.सिंह)
उप वन संरक्षक
चितौड़गढ़

क्रमांक :– एफ ( ))एफ.सी.ए./उवस/2017–18/ 1811 **दिनांक :–** 2/2/18

प्रतिलिपि :– सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को प्रासंगिक पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक, 2.2.18
चित्तौड़गढ़

Sarve